

अब तक तकरीबन 1.64 लाख मामलों के स्वतन्त्रता सेनानी पेशन मंजूर की जा चुकी है। चौकि स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लेने और उसमें भोगी गई यातनाओं का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या बताना संभव नहीं है जिन्हें अब तक पेशन संश्लिष्ट नहीं की गई है। आवेदन पत्रों/आव्यापदों के प्राप्त होने पर ही पेशन के मामलों पर विवार किया जाता है और उन्हें प्रौसेस किया जाता है।

राज्य सीमा विवाद

45. श्री अखिलेश दास: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय सरकार के पास निपटन के लिए लंबित कुल राज्यों के सीमा विवाद संबंधी मामलों का विस्तृत व्यौरा क्या है;

(ख) सीमा विवाद कब से लंबित है;

(ग) किन राज्य सरकारों ने इस संदर्भ में अपनी-अपनी विधान सभाओं में पारित संकल्पों को केंद्रीय सरकार को प्रेषित किया है; और

(घ) उनके मतालय द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का व्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कुमार आडवाणी): (क) और (ख) अनिर्णीत पड़े मुख्य अन्तर्राजीय सीमा विवाद निप्र प्रकार है:—

(i) महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद। ये विवाद 1956 में राज्यों के पुर्णागठन के समय से लंबित पड़े हैं।

(ii) पंजाब-हरियाणा सीमा विवाद। ये विवाद 1966 में संयुक्त राज्य पंजाब के पुर्नागठन के समय से लंबित पड़े हैं।

जबकि महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद कुछ सीमावर्ती गांवों और शहरों के बारे में परस्पर विरोधी राज्य क्षेत्रीय दबोच से संबंधित है, पंजाब-हरियाणा सीमा विवाद का संबंध चंडीगढ़ का हस्तांतरण पंजाब को किए जाने और चंडीगढ़ के बदले कुछ हिन्दी भाषी गांवों का हस्तांतरण, पंजाब से हरियाणा को किए जाने से संबंधित है।

बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच भी सीमा विवाद है। तथापि ये विवाद, नदियों के बदलते बहाव के कारण गांवों के हस्तांतरण/पुर्व-हस्तांतरण द्वारा उत्तर राजस्व प्रबन्धन की कठिनाईयों को दूर करने के लिए बिहार और

उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 में निर्धारित सीमा सिद्धान्त अंतीकर किए जाने से प्रभावित प्राइवेट पार्टियों के बीच है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य विधान मंडल ने, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच लंबित पड़े सीमा विवादों में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए संकल्प पारित किए हैं। 1967 में तत्कालीन मैसूरु विधान मंडल ने महाजन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने की मांग करते हुए संकल्प पारित किए थे।

(घ) जहां केंद्र सरकार ने समय-समय पर इन विवादों को सुलझाने में मदद करने के प्रयास किए हैं वहां तत्वतः यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है कि वे अपने मतभेद आपस में मिलजुलकर सुलझा लें। केंद्र सरकार, इस संबंध में, संबंधित राज्य सरकारों को हर संभव सहायता सहर्ष प्रदान करेगी।

Deterioration of Law and Order in Capital

46. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the law and order situation in the capital has deteriorated since the past few months and cases of murders, kidnapping and looting have increased manifold;

(b) if so, whether Delhi Police has totally failed to put a check on such crimes;

(c) if so, the details of such crimes held during the last three months; and

(d) the steps, the Union Government and the State Government propose to take to provide safe life to citizens?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) While the over-all law and order situation in the capital continues to be under control, the number of reported cases of murder, kidnapping and looting (robbery) in the last three months compare with those in the corresponding period last year in the following manner: